

अज अदालत

{ नियम 26 }

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चौथ का बरवाड़ा

गन्दोडी वगै० बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बिन्जारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 75 एल0आर0 एक्ट


मु० नं० 11/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2026	<p>अपीलांट्स गन्दोडी पुत्री गोपी पत्नि रामसहाय माली निवासी बिन्जारी, तहसील चौथ का बरवाड़ा वगै० ने एक अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 670 निर्णय दिनांक 06.03.2026 ग्राम पंचायत बिन्जारी पेश की है, जिसके तथ्य निम्नानुसार है—</p> <p>अपीलार्थी ग्राम बिन्जारी ग्राम पंचायत बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर के स्थाई निवासी है। एवं अपीलार्थी एक ही परिवार व सजरा खानदान के व्यक्ति है। अपीलार्थी सं. 01 लगायत 07 की माता व अपीलार्थी सं. 08 लगायत 11 की दादी भूरी पत्नि गोपी माली की कब्जेकाशत एवं खातेदारी की भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत 2073-76 के अनुसार वर्तमान खाता सं. 95 का खसरा नम्बर 979 रकबा 0.17 है०, खसरा नम्बर 981 रकबा 0.14 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.3100 है० में हिस्सा 1/40 भाग, एवं वर्तमान खाता सं. 109 का खसरा नम्बर 635 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 647 रकबा 0.16 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.2400 है० में हिस्सा 1/27 भाग एवं वर्तमान खाता सं. 154 का खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.10 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 है० हिस्सा 1/30 व वर्तमान खाता सं. 262 का खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 1513 रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 1514 रकबा 0.280, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 303 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 633 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.29 है०, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.1580, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.21 है०, खसरा नम्बर 896 रकबा 2.03 है०, खसरा नम्बर 897 रकबा 2.01 है०, खसरा नम्बर 903 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 957 रकबा 2.02 है०, खसरा नम्बर 977 रकबा 2.820, कुल किता 28 कुल रकबा 11.47 है० में हिस्सा 1/162 भाग एवं वर्तमान खाता सं. 263 का खसरा नम्बर 636 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 641 रकबा 0.06 है०, कुल किता 5 कुल रकबा 0.47 है० में हिस्सा 1/54 भाग एवं वर्तमान खाता सं. 264 का खसरा नम्बर 640 रकबा 0.35 है०, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.17 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है० में हिस्सा 1/54 भाग वाके ग्राम बिन्जारी पटवार हल्का बिन्जारी तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। मूल खातेदार भूरी पत्नि गोपी माली की मृत्यु हो जाने पर उसकी छोड़ी हुई कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरकरण उसके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करवाने हेतु अपीलार्थी ने वर्तमान में नामान्तरकरण खुलवाने की प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन विधिक उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करवाकर मय आवश्यक दस्तावेजात सजरा खानदान व शपथ पत्रों के साथ आनलाईन दर्ज करवाया। मृतक भूरी पत्नि गोपी माली का सजरा खानदान निम्न प्रकार है—</p>	



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

भूरी पत्नि गोपी माली




महेन्द्र श्योदास दिलबरबाई मंजूबाई गोकुलदेवी (फोट)
पुत्र पुत्र पुत्री पुत्री पत्नि

उपरोक्त खानदान के मुताबिक उक्त भूमि पैतृक भूमि है एवं मूल खातेदार भूरी पत्नि गोपी माली जाति माली की छोड़ी हुई कृषि भूमि में उसके समस्त विधिक उत्तराधिकारियों का अधिकार है। इस कारण अपीलार्थीगण ने भूरी पत्नि गोपी माली जाति माली की मृत्यु हो जाने पर उसकी विरासत का नामान्तरण खुलवाने हेतु आवेदन अपीलार्थी द्वारा आनलाईन दर्ज करवाया गया। अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन करने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा वारिसान की जाँच कर वारिसानों का हिस्सा दर्ज कर उक्त नामान्तरण को प्रक्रियाधीन कर सरपंच महोदय को अग्रेषित किया जाता है। उसके उपरांत सरपंच महोदय पटवारी द्वारा दर्ज हिस्से व वारिसानों की जाँच कर उक्त नामान्तरण को स्वीकृत किया जाता है। परंतु हल्का पटवारी ने बिना सही तरह से जांच करे ही भूरी पत्नि गोपी माली जाति माली के स्थान पर जीवित पौत्र अपीलार्थी सं. 11 शयोदास माली पुत्र श्योजी की विरासत अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरण दर्ज कर सरपंच महोदय, ग्राम बिन्जारी को अग्रेषित कर दिया एवं इसी प्रकार सरपंच महोदय ग्राम बिन्जारी ने भी बिना किसी सही एवं वास्तविक जाँच के उक्त प्रक्रियाधीन नामान्तरण को दिनांक 20.03.2026 को स्वीकृत कर दिया। जिससे मृतक भूरी पत्नि गोपी माली जाति माली का हिस्सा व नाम जमांबदी में यथावत रहा व भूरी पत्नि गोपी माली जाति माली के स्थान पर जीवित पौत्र अपीलार्थी सं. 11 शयोदास माली पुत्र श्योजी के हिस्से की भूमि सभी अपीलार्थी जिसमें स्वयं शयोदास माली पुत्र श्योजी भी शामिल है के नाम दर्ज हो गया। जब अपीलार्थी सं. 11 शयोदास माली पुत्र श्योजी ने अपने हिस्से में आई भूमि पर के.सी.सी. ऋण लेने हेतु जमांबदियाँ निकलायी तो उसे अपने हिस्से में पहले से भी कम भूमि आने पर इसकी जानकारी हुई। जिस पर अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण की नकल निकलवायी गई तो पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। इस प्रकार उक्त नामान्तरण में आनलाईन दर्ज करताते समय अपीलार्थी द्वारा एक शपथ पत्र पर सही सजरा खानदान स्केन कर अपलोड किया गया था। परन्तु आनलाईन आवेदन करते समय सहवन से भूरी पत्नि गोपी माली जाति माली के स्थान पर जीवित पौत्र अपीलार्थी सं. 11 शयोदास माली पुत्र श्योजी की विरासत का नामान्तरण को बिना जाँच के स्वीकृत कर दिया गया। जो अपीलार्थीगण के हिस्से की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है। जब अपीलार्थी सं. 11 ने अपने हिस्से में आई भूमि पर के.सी. सी. ऋण लेने हेतु दिनांक 17.04.2026 को राजस्व रिकॉर्ड जमांबदियाँ निकलायी तो अपीलार्थी के स्वयं के हिस्से में कम भूमि आयी। जिस पर अपीलार्थी ने नामान्तरण संख्या 670 दिनांक 06.03.2026 विरासत की नकल निकलावाई। जब अपीलार्थी को पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिस पर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलार्थीगण विरासत के नामान्तरण संख्या 670 दिनांक 06.03.2026 में दर्ज नामान्तरण को सही करने हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय चौथ के रामक्ष प्रस्तुत किया। परन्तु

वेजय
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का वरवाड़ा (सं मा०)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकत की तामील में जारी हुए
	<p>तहसीलदार महोदय ने इसे सही करके उक्त नामांतरकरण की अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने की हिदायत दी। जब अपीलार्थी ने अपने हिरसे में आई भूमि पर के.सी.सी. ऋण लेने हेतु दिनांक 17.04.2026 को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियाँ निकलायी तो अपीलार्थी के स्वयं के हिरसे में कम भूमि आयी। जिस पर अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 06.03.2026 विरासत की नकल निकलावाई। उसके बाद यह अपील बिना किसी देरी के आज पेश की जा रही है। अतः अपील मय नकल नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 06.03.2026 सरपंच ग्राम पंचायत बिन्जारी पंचायत समिति व तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को निरस्त फरमाया जाकर वास्तविक मृतक भूरी पत्नि गोपी माली जाति माली की विरासत का वास्तविक वारिसानों के नाम दर्ज करने हेतु नवीन नामकरण खोलने के आदेश फरमाये जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।</p> <p>पत्रावली में उपलब्ध सरपंच/प्रशासक, ग्राम पंचायत बिन्जारी ने सहवहन से गलत स्वीकृत हुए नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने बाबत पत्र इस आशय से प्रेषित किया है कि मृतक भूरी पत्नि गोपी माली जाति माली की मृत्यु के उपरांत उनकी विरासत का नामांतरकरण पटवारी द्वारा अग्रेषित करने के बाद मेरे पास ऑनलाईन प्राप्त हुआ। जिसमें मृतक के स्थान पर अन्य का नाम होने पर मैं उसे निरस्त करना चाहता था। परंतु सहवहन से वह स्वीकृत हो गया जो कि गलत है। अतः निवेदन है कि ग्राम बिन्जारी पटवार हल्का बिन्जारी के स्वीकृत हुये नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 06.03.2026 को निरस्त करने के आदेश फरमाने की कृपा करें। जिससे मृतक भूरी पत्नि गोपी माली जाति माली के वास्तविक वारिसानों के नाम नामांतरकरण दर्ज किया जा सके।</p> <p>सरपंच/प्रशासक ग्राम पंचायत बिन्जारी की सहमति के आधार पर मैं उक्त विवादित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना उचित समझता हूँ।</p> <p>अतः नामान्तरकरण संख्या 670 निर्णय दिनांक 06.03.2026 ग्राम पंचायत बिन्जारी को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक भूरी पत्नि गोपी माली के विधिक वारिसान की जांच कर एक उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)